# न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

**(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)**

अपील संख्या :– 209/2006 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :–

1. महावीर पुत्र जगन्नाथ
2. रामपति उर्फ लाली पुत्री जगन्नाथ
3. सुमन पुत्री जगन्नाथ
4. भरता पुत्री जगन्नाथ
5. रमेश पुत्र जगन्नाथ
6. सूरजी बेवा जगन्नाथ

जति चमार निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

——— अपीलान्ट

बनाम्

1. उदमी पुत्र जोहरिया (फौत)
   1/1. राजेन्द्र पुत्र स्व. उदमी
2. सोहनलाल पुत्र जोहरिया
3. सूरता पुत्री जोहरिया
4. रामकुंवार पुत्र भगवती
5. श्रीराम पुत्र भगवती
6. जयसिंह पुत्र भगवती
7. विजय पुत्र भगवती

जति चमार निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

———असल रेस्पाडेण्ट

8. सतीश पुत्र जगन्नाथ चमार

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

9. ताराचन्द पुत्र चेतराम चमार

10. भजनलाल पुत्र चेतराम चमार

11. बनारसी बेवा चेतराम चमार

निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

--- तरतीवी रेस्पोडेण्ट

**अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक–14.09.2006**

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री निर्मल कुमार जैन

2. वकील रेस्पो0 :– श्री अतुल्य कुमार माथुर

**निर्णय** **दिनांक–** 06.08.2021

1. प्रस्तुत अपील तहत न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 123/98 अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2006 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त वाद प्राथमिक तौर पर डिक्री किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में आराजी हाल खसरा नम्बर 1606 रकबा 3 बीघा, 1609 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 1610 रकबा 3 बीघा, 1612 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम ततारपुर तह0 मुण्डावर में अपना 1/4 भाग बताते हुए तकासमा का वाद पेश किया, जिसे तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 14.09.2006 द्वारा प्राथमिक तौर पर डिक्री कर कुरेजात रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये। तहत अदालत के इस निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि से वादीगण का कोई सरोकार नहीं है। उक्त भूमि पर अपीलांटान का कब्जा काश्त काफी समय से चला रहा है। प्रतिवादीगण अपीलांटस एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी पाने के अधिकारी है। विवादित भूमि हम अपीलांट प्रतिवादीगण के बीच बटी हुई है। इसी अनुसार काबिज है। जब पूर्व में बंटवारा हो चुका है तो पुनः तकासमा की आवश्यकता नहीं है। भरता एवं रमेश नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इनके नाम ममता व राजेश है। इस आशय का संशोधन वाद पत्र में किया जाना चाहिये था। सही तौर पर तनकियात कायम नहीं की और ना ही उनका विवेचन विधि अनुरूप किया। तनकी नम्बर 01 में वादीगण का 1/4 एवं हमारा 3/4 भाग माना है। जबकी सत्यता यह है कि उक्त

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1/4, जो कि वादीगण का माना है, पर हमारा ही कब्जा है। इस 1/4 भाग पर हमको एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विवादित भूमि पर 1/4 भाग के हम सह खातेदार है। कानूनन सह खातेदार को अपनी भूमि का बटवारा कराने का अधिकार है। हमारे 1/4 भाग पर हम ही काबिज है। अपीलांट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका एडवर्स पजेशन सिद्ध नहीं है, ना ही कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दी जा सकती है। तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड सम्वत 2029, 2033, 2030, 2015, 2019 के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि पक्षकारान की सह खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता 1/4 भाग के खातेदार दर्ज है। जिनको अपनी सह खातेदारी की भूमि का तकासमा कराने का अधिकार है। तहत अदालत ने प्राथमिक डिक्री पारित की है। इसके बाद कुर्रेजात रिपोर्ट आनी है। कुरेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान की आपत्तियां आमंत्रित होनी है। अपीलांट को चाहिये कि वे अपनी आपत्ति तहत अदालत में पेश करे । तहत अदालत ने रेकार्ड के अनुसार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का 1/4 भाग तथा असल प्रतिवादीगण अपीलांटस का 3/4 भाग राजस्व रेकार्ड के अनुसार मानकर प्राथमिक डिक्री जारी कर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये हैं, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। जहां तक अपीलांट के इस कथन का प्रश्न है कि उनको एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके हैं तो इस संबंध में हमारी सुविचारित राय है कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी नजीर 2014–15 (सप्लीमैंट्री) आर0 आर0 टी0 पेज 541 में अभिनिर्धारित किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी देय नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.09.2006 यथावत रखे जाते है। साथ ही हम यहां यह भी उल्लेखित करना उचित समझते हैं कि तहत अदालत में अभी कुर्रेजात रिपोर्ट तलब होनी है और उस पर पक्षकारान की आपत्ति आमंत्रित की जानी है । परन्तु अपीलांट ने कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुये बिना और उस पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत किये बिना ही यह अपील प्रस्तुत कर दी है । अपीलांट के इस कृत्य से न्यायालय का कीमती समय व्यय हुआ है । इसके लिये अपीलांट पर 500/– रूपये की कॉस्ट अधिरोपित की जाती है । कॉस्ट अदा हो ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

# न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

## (पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 209/2006 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :–

1. महावीर पुत्र जगन्नाथ
2. रामपति उर्फ लाली पुत्री जगन्नाथ
3. सुमन पुत्री जगन्नाथ
4. भरता पुत्री जगन्नाथ
5. रमेश पुत्र जगन्नाथ
6. सूरजी बेवा जगन्नाथ

जति चमार निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

––– अपीलान्ट

बनाम्

1. उदमी पुत्र जोहरिया (फौत)
   1/1. राजेन्द्र पुत्र स्व. उदमी
2. सोहनलाल पुत्र जोहरिया
3. सूरता पुत्री जोहरिया
4. रामकुंवार पुत्र भगवती
5. श्रीराम पुत्र भगवती
6. जयसिंह पुत्र भगवती
7. विजय पुत्र भगवती

जति चगार निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

–––असल रेस्पाडेण्ट

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

8. सतीश पुत्र जगन्नाथ चमार

9. ताराचन्द पुत्र चेतराम चमार

10. भजनलाल पुत्र चेतराम चमार

11. बनारसी बेवा चेतराम चमार

निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

——— तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक–14.09.2006

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री निर्मल कुमार जैन

2. वकील रेस्पो0 :– श्री अतुल्य कुमार माथुर

पर्चा डिक्री — दिनांक– 06.08.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.09.2006 यथावत रखे जाते है।

(अशोक कुमार सांखला)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर